

कार्यालय कलेक्टर बिलासपुर, छ0ग0

:: आदेश ::

क्रमांक क/1721/स्टेनो/2024

बिलासपुर, दिनांक 20.5.2024

अनुविभागीय अधिकारी रा0 कोटा जिला बिलासपुर के प्रतिवेदन के अनुसार श्री शेख अब्दुल कादिर, खाद्य निरीक्षक-कोटा जिला बिलासपुर द्वारा अपने प्रभार क्षेत्र अनुविभाग कोटा के शासकीय उचित मूल्य दूकानों का सतत निरीक्षण नहीं किए जाने, आम जनता की समस्याओं को ध्यान में नहीं रखने तथा राशन संबंधित उनकी परेशानियों का निराकरण नहीं किए जाने के फलस्वरूप उन्हें छ0ग0सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन अवधि में उनका मुख्यालय जिला कार्यालय (खाद्य शाखा) बिलासपुर रहेगा।

श्री शेख अब्दुल कादिर, खाद्य निरीक्षक को निलम्बन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।


कलेक्टर,

बिलासपुर, छ.ग.

पृ0 क्रमांक क/1721/स्टेनो/2024
प्रतिलिपि :-

बिलासपुर, दिनांक 20.5.2024

- 1- सचिव, छ0ग0शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटलनगर छ0ग0
- 2- संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटलनगर छ0ग0
- 3- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कोटा, जिला बिलासपुर
- 4- खाद्य नियंत्रक, जिला बिलासपुर छ0ग0
- 5- जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम, जिला बिलासपुर
- 6- जिला विपणन अधिकारी, जिला बिलासपुर
- 7- तहसीलदार कोटा/बेलगहना/रतनपुर जिला बिलासपुर
- 8- श्री शेख अब्दुल कादिर, खाद्य निरीक्षक जिला बिलासपुर को सूचनार्थ।


कलेक्टर,

बिलासपुर, छ.ग.